[2018] 12 एससीआर 829

वेदांत लिमिटेड

बनाम

शेनजेन शैंडोंग न्यूक्लियर पावर कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या10394 सन् 2018)

11 अक्टूबर, 2018

[आर. एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारायें 34 और 37- अपीलार्थी और प्रत्यर्थी-कंपनी ने सह-उत्पादन बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए चार अंतर-संबंधित अनुबंध किए- पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ- प्रत्यर्थी-दावेदार ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और कई मुद्राओं जैसे भारतीय रुपया (आई. एन. आर.), संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर ($) और यूरोपीय संघ (ई. यू. आर.) में दावे किए- मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दावेदार के पक्ष में आई. एन. आर. और ई. यू. आर. में राशि का फैसला किया, लेकिन $ में किए गए दावे को खारिज कर दिया-मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आई. एन. आर. और ई. यू. आर. में देय राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का फैसला इस शर्त के साथ किया कि यदि प्रदत्त राशि का भुगतान 120 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो राशि की वसूली तक @15% की उच्ततर दर से अधिरोपित होगा। औचित्य - अभिनिर्धारितः उचित नहीं- पंचाट में दोहरी ब्याज दर को अपनाना उचित नहीं था-120 दिनों के बाद बहुत अधिक ब्याज दर का दिया जाना मनमाना था, क्योंकि पंचाट-ऋणी 120 दिनों की

अधिकतम अवधि के भीतर पंचाट को चुनौती देने का हकदार था, जैसा कि 1996 के अधिनियम के धारा 34 (3) मे उपबन्धित है - यदि पंचाट-ऋणी को 120 दिनों के बाद उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया, तो यह उपरोक्त अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत आपत्तियां दर्ज करके पंचाट को चुनौती देने के उसके वैधानिक अधिकार को रोक देगा या गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसके अलावा, 120 दिनों के बाद 15 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर लागू करना आर्थिक दृष्टिकोण से, अत्यधिक था, और इसका प्रचलित समकालीन अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के साथ कोई सह-संबंध नहीं है- इसलिए, दी गई पूरी राशि पर 15 प्रतिशत की ब्याज दर उचित नहीं है- इसके अलावा, आई. एन. आर. और ई. यू. आर. के लिए 9 प्रतिशत की एक समान ब्याज दर उचित नहीं थी, क्योंकि पक्षकार अलग-अलग मुद्रा में काम करते थे, इसलिए भेदात्मक ब्याज दरों के कारण होने वाली जटिलताओं को ध्यान में रखना आवश्यक था- इस प्रकार, 9 प्रतिशत की एक समान ब्याज दर आई. एन. आर. घटक के लिए सम्पूर्ण वसूली की तारीख तक लागू होगी, हालांकि, पंचाट के ई. यू. आर. घटक पर देय ब्याज की दर लंदन इंटरबैंक ऑफर दर+3 प्रतिशत अंकों के अनुसार पंचाट की तारीख से, वसूली की तारीख तक होगा।

बैंक/बैंकिंग- लंदन इंटरबैंक ऑफर दर - अभिनिर्धारितः लंदन इंटरबैंक ऑफर दर. एक औसत ब्याज दर है जिसकी गणना समय-समय पर लंदन में प्रमुख बैंकों द्वारा उनकी ब्याज दरों के रूप में दी गई जानकारी के आधार पर की जाती है- लंदन इंटरबैंक ऑफर दर व्यवस्था के तहत, बैंक वास्तविक ब्याज दर के बारे में विवरण देते हैं जो वे भुगतान कर रहे हैं, या अन्य बैंकों से उधार लेने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी- लंदन इंटरबैंक ऑफर दर एक 3 महीने की दर है जिसे अनुबंध के उल्लंघन (या अन्य दायित्व) के कुछ मामलों में अपनाया गया है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः 1.1 ब्याज देने के लिए मध्यस्थ के विवेक का युक्तियुक्त उपयोग किया जाना चाहिए। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को ब्याज के लिए निर्णय देते समय कई कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे किः(i) मूल राशि के 'उपयोग की हानि'; (ii) उन राशियों के प्रकार जिन पर ब्याज लागू होना चाहिए; (iii) वह समय अवधि जिस पर ब्याज दिया जाना चाहिए; (iv) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ब्याज दरें; (v) क्या ब्याज की सरल या चक्रवृद्धि दर लागू की जानी है; (vi) क्या दी गई ब्याज दर आर्थिक दृष्टिकोण से व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण है; (vii) मुद्रास्फीति की दरें, (viii) दी गई मूल राशियों के लिए ब्याज के रूप में दी गई गणना की आनुपातिकता।[पैरा 6] [838-ई-जी]

1.2 एक ओर, ब्याज की दर प्रतिपूरक होनी चाहिए क्योंकि यह पंचाट धारक को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का एक रूप है, जबकि दूसरी ओर यह दंडात्मक, अनुचित या सूदखोर प्रकृति का नहीं होना चाहिए। न्यायालय एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी गई ब्याज दर को कम कर सकते हैं जहां ऐसी ब्याज दर प्रचलित आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करती है या जहां यह उचित नहीं पाई जाती है, या न्याय के हितों को बढ़ावा देती है। [पैरा 6] [838-जी-एच; 839-ए]

2. वर्तमान मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निर्णय में दोहरी ब्याज दर को अपनाया है। पंचाट ने पंचाट के बाद 120 दिनों के लिए 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया; यदि दी गई राशि का भुगतान 120 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो दी गई राशि पर ब्याज की दर 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी है। दी गई ब्याज की दोहरी दर अनुचित प्रतीत होती है। 120 दिन के बाद बहुत अधिक ब्याज दर दिया जाना 'मनमाना है, क्योंकि पंचाट-ऋणी, 1996 के अधिनियम की धारा 34 (3) के अनुसार, अधिकतम 120 दिनों की अवधि के भीतर पंचाट को चुनौती देने का हकदार है। यदि पंचाट-ऋणी को 120 दिनों के बाद उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी बनाया जाता है, तो यह उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियां दायर करके पंचाट को चुनौती देने के उसके वैधानिक अधिकार को रोक देगा या गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। [पैरा 8] [839-सी-ई]

3. आर्थिक दृष्टिकोण से, 120 दिनों के बाद 15 प्रतिशत की दर से उच्च ब्याज दर लागू करना अत्यधिक है और इसका प्रचलित समकालीन अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के साथ कोई संबंध नहीं है। पंचाट-ऋणी को, उस अवधि के दौरान या बाद में जब वह न्यायालय के समक्ष पंचाट को चुनौती देने के वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है, दंडात्मक ब्याज दर के अधीन नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 120 दिनों के बाद 15 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का कोई कारण नहीं बताया है। [पैरा 9] [839-ई-एफ; 840-ए-बी]

4. पंचाट ने आई. एन. आर. और ई. यू. आर. घटक दोनों पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की एक समान दर प्रदान की है। हालांकि, जब पक्षकार, एक ही मुद्रा में काम नहीं करती हैं, तो भेदात्मक ब्याज दरों के कारण होने वाली जटिलताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। ब्याज दरें मुद्रा के आधार पर भिन्न होती हैं। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह ब्याज दर के साथ मुद्रा के चयन का समन्वय करे। इसलिए आई. एन. आर. और ई. यू. आर. के लिए एक समान ब्याज दर उचित नहीं होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आई. एन. आर. घटक पर 9 प्रतिशत ब्याज की दर अबाधित रहेगी। हालाँकि, ई. यू. आर. घटक के संबंध में, पंचाट ऋणी, पंचाट की तारीख को प्रचलित लंदन इंटरबैंक आँफर दर + 3 प्रतिशत अंकों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।[पैरा 12] [840-ई-जी]

आई. ओ. सी. बनाम लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड **2007-(4) अरब एल. आर. 84 (दिल्ली) @ पेज 103;** मनालाल प्रभुदयाल बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2009) 17 एस. सी. सी. 296: [2006] 4 पूरक एस. सी. आर. 666**; एफ.

सी. आई बनाम ए. एम. अहमद **ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 829: [2006] 8 पूरक एस. सी. आर. 148- संदर्भित**

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड का **चौथा संस्करण 1980-संदर्भित**

जिसेल स्टीफंस- चू और जोशुआ केली, **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में ब्याज दिया जानाः** उद्देश्य के माध्यम से सामंजस्य हासिल करना, इंडियन जर्नल ऑफ आर्बिट्रेशन कानून, **खंड 7, अंक 1 (जुलाई 2018)-संदर्भित**

विधि नियमन संदर्भ

2007-(4) अरब एल.आर. 84 (दिल्ली)	**संदर्भित**	**पैरा 6**
[2006] 4 सप्लीमेंट एस.सी.आर. 666	**संदर्भित**	**पैरा 6**
[2006] 8 सप्लीमेंट एस.सी.आर. 148	**संदर्भित**	**पैरा 6**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 10394 सन् 2018

एफ.ए.ओ. (ओ.एस.) (कमर्शियल) 35 सन् 2018 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 30.08.2018 के निर्णय और आदेश से।

कपिल सिब्बल, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सुश्री रंजना रॉय गवई, सुश्री वसुधा सेन, सुश्री आयुषी सिंह, सुश्री दिव्या रॉय, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सी. एस. वैद्यनाथन, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, बलबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्तागण, रंजीत प्रकाश, अंशुमन पांडे, सुश्री महिमा सरीन, अभिनव रघुवंशी, सुश्री अनन्या घोष, अधिवक्तागण उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

इंदु मल्होत्रा, जे. अनुमति दी गयी

1. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 [एतदपश्चात "उक्त अधिनियम" के रुप मे सन्दर्भित] की धारा 37 के तहत दायर एक

अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30 अगस्त, 2018 के फैसले और आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक विवरण, संक्षेप में निम्नलिखित हैः

2.1 22 मई 2008 को, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी-कंपनी ने 210 मेगावाट के सह-उत्पादन बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए चार अंतर-संबंधित अनुबंध किए।:-

i. आई. अपतटीय अभियांत्रिकी और तकनीकी सेवा अनुबंध।

ii. अपतटीय आपूर्ति अनुबंध

iii. तटवर्ती सेवाएँ और निर्माण अनुबंध

iv.तटवर्ती आपूर्ति अनुबंध ए

इन अनुबंधों को इसके बाद सामूहिक रूप से 'ईपीसी अनुबंध' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2.2 चार अनुबंधों में से प्रत्येक में एक मध्यस्थता खंड था जो समान रूप से शब्दबद्ध है, जो निम्नानुसार हैः

"अनुच्छेद 10

मध्यस्थता

10.1 यहाँ के पक्षकार अनुबंध से संबंधित और/या उससे उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे।

10.2 पक्षकारों द्वारा किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में विफल रहने की स्थिति में उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, सभी संशोधनों और पुनः अधिनियमनों के साथ, जैसा कि भारत में प्रचलित है, के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ को नामित करने का हकदार होगा और इस प्रकार नामित दो मध्यस्थ संयुक्त रूप से एक तीसरे पीठासीन मध्यस्थ को नामित करेंगे। मध्यस्थ एक तर्कसंगत पंचाट देंगे।

10.3 मध्यस्थता का स्थान मुंबई होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

10.4 पक्षकार इस बात पर भी सहमत हैं कि कोई भी मध्यस्थता पंचाट अंतिम होगा और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

10.5 यहाँ के पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने की स्थिति में भी आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि खरीदार किसी भी अधूरे कार्य या मध्यस्थता के तहत किसी भी विषय वस्तु के लिए अनुबंध मूल्य की किसी भी राशि या हिस्से को अपने पास रखने का हकदार होगा जो देय और देय हो गया है।"

2.3 अनुबंधों का शासी कानून भारत का कानून है। सुलभ संदर्भ के लिए प्रासंगिक खंड नीचे दिया गया हैः

"अनुच्छेद 12

प्रभावी कानून और क्षेत्राधिकार

12.1 इस अनुबंध की ब्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार और उनके द्वारा शासित किया जाएगा और किसी भी मुकदमे की स्थिति में भारत में अदालतों को अनन्य क्षेत्राधिकार होंगा।"

2.4 ई. पी. सी. अनुबंधों में एक समाप्ति खंड था जो निम्नानुसार हैः

"35.2.1- खरीदार, ऐसे निलंबन की प्रकृति, तिथि और प्रत्याशित अवधि बताते हुए, आपूर्तिकर्ता को लिखित सूचना देकर किसी भी समय पूरे या आंशिक रूप से काम को निलंबित कर सकता है। निलंबन की सूचना मिलने पर, आपूर्तिकर्ता ऐसे सभी कार्यों को रोक देगा जिन्हें खरीदार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। आपूर्तिकर्ता अनुबंध के संदर्भ में अन्य कार्य करना जारी रखेगा जिसे खरीदार ने निलंबित नहीं किया है। आपूर्तिकर्ता ऐसे निलंबन की वापसी की सूचना प्राप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र निलंबित कार्य को फिर से शुरू करेगा।

35.2.2- निलंबन के दौरान, आपूर्तिकर्ता, खरीदार से एक परिवर्तन आदेश प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें निलंबन के कारण उचित लागत, यदि हो, और पूर्णता अनुसूची के लिए उचित समायोजन और इस अनुबंध के अन्य नियम और शर्तें शामिल होगी।

35.2.3- यदि ऐसा निलंबन 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है, तो अवधि के अंत में, आपूर्तिकर्ता, पुनः 30 (तीस) दिन पूर्व नोटिस द्वारा, अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा और खरीदार आपूर्तिकर्ता को समाप्ति तक पहले से किए गए भुगतानों को समायोजित करने के बाद मुआवजे के रूप में समाप्ति की तारीख तक आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई लागत का 105% (एक सौ पांच प्रतिशत) भुगतान करेगा। इस तरह के निलंबन की स्थिति में खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को कोई परिणामी नुकसान देय नहीं होगा।"

(जोर दिया गया)

2.5 ई. पी. सी. अनुबंध याचिकाकर्ता, एक भारतीय कंपनी, और चीन जनवादी गणराज्य में निगमित कंपनी के बीच किए जाते हैं। इन पक्षों के बीच मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है, जिसका पीठ भारत में है, जो 1996 के अधिनियम के भाग । द्वारा शासित होगा। समाप्ति खंड में प्रावधान किया गया है कि समाप्ति की स्थिति में, खरीदार मुआवजे के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई लागत का 105% भुगतान करेगा । ई. पी. सी. अनुबंधों में ब्याज के भुगतान पर कोई प्रावधान नहीं था।

2.6 पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 25.02.2011 के नोटिस के माध्यम से EPC अनुबंधों को समाप्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता से उक्त नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की।

2.7 प्रत्यर्थी-दावेदारों ने नोटिस दिनांक 18.04.2012 के माध्यम से मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। ई. पी. सी. अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों को पक्षों के बीच

समझौते के संदर्भ में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। 17.10.2012 पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण की पहली बैठक में, पक्षकारों ने पारस्परिक रूप से मध्यस्थता की सीट/स्थान को मुंबई से नई दिल्ली में बदलने पर सहमति व्यक्त की।

2.8 दावेदार-उत्तरदाता ने विभिन्न मुद्राओं में, जिनकी राशि रु. 4,472,106,315; यू. एस. $2,380,000; और ई. यू. आर. 121,723,214 थी के साथ वाद कालीन और भविष्य का ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष के विभिन्न दावे किए ।

2.9 वर्तमान अपीलार्थी ने माध्यस्थम न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारण के लिए रु. 2458,34,89,367 साथ ही ब्याज @18% का प्रतिदावा दायर किया।

2.10 मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दिनांक 09.11.2017 को एक विस्तृत निर्णय पारित किया, जिसमें न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित राशियों का अधिनिर्णय दियाः

"134. इस प्रकार, उपरोक्त के आलोक में, दावेदार के पक्ष में निम्नलिखित राशि अधिनिर्णीत की जाती है और प्रत्यर्थी इस पंचाट की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर दावेदार को इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैः

I. पहले दावे के तहतः

क) रु. 46,71,41,942/- और यूरो 23,717,437; और

ख) रु. 12,19,69,047

II. दूसरे दावे के तहतः

क) रु. 25,47,325-और

ख) रु. 6,06,707 -

ग) रु. 1,31,10,990/-

135. उपरोक्त राशि वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही की दायर होने की तारीख से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ देय होगी बशर्ते राशि का भुगतान/जमा पंचाट के 120 दिनों के भीतर किया जाए।

136. यदि प्रत्यर्थी पंचाट की तारीख से 120 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दावेदार, राशि की वसूली की तारीख तक 15 प्रतिशत की दर से अग्रतर ब्याज का हकदार होगा।

137. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और मध्यस्थता कार्यवाही में किए गए खर्च को ध्यान में रखते हुए, हम दावेदार को रु. 50, 000, 000.00-(पचास लाख रुपये) लागत और कानूनी खर्चों के लिए देना उचित समझते हैं, जो हमारे अनुसार न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। प्रत्यर्थी की लागत के भुगतान के दावे को खारिज किया जाता है।"

दिये गये पंचाट में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पहले दावे का एक हिस्सा आई. एन. आर. में दिया, जबकि दूसरा घटक यूरो. में दिया गया था। अमेरिकी डॉलर में किए गए दावे को खारिज कर दिया गया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ब्याज की दोहरी दर को अपनाया। यदि प्रदान की गई राशि का भुगतान पंचाट के पारित होने के 120 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रदान की गई राशि पर पंचाट के दोनों घटकों यानी आई. एन. आर. और यूरो में देय राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज दर होगी। हालांकि, यदि अधिनिर्णीत राशि का भुगतान 120 दिनों के भीतर नहीं किया गया, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने राशि की वसूली की तारीख तक 15 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज की दर लागू की।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 50,00,000 (पचास लाख रुपये) दावेदार/प्रत्यर्थी को लागत और कानूनी खर्चों के लिए भी दिया ।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी/पंचाट-ऋणी द्वारा दायर प्रति-दावों को खारिज कर दिया।

2.11 उक्त अधिनिर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 34 के तहत आपत्तियां दायर कीं, जिन्हें आदेश दिनांक 12.02.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया।

2.12 एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित, अपीलार्थी पंचाट-ऋणी ने उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की। खंड पीठ ने आदेश दिनांक द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

2.13 डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को दायर किया है।

बहस के समय, अपीलार्थी ने चुनौती को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज की दर तक सीमित किया है।

न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज पर चुनौती को वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों और विचाराधीन अनुबंधों के विशिष्ट खंडों के संदर्भ मे विचार किया जा रहा है।

3. 'ब्याज' को "एक व्यक्ति द्वारा किसी कारण से, दूसरे से सम्बंधित या स्वामित्व वाली राशि के उपयोग या प्रतिधारण के लिए वापसी या मुआवजे" के रूप में परिभाषित किया गया है।[1] **संक्षेप में, ब्याज का दिया जाना** किसी पक्ष को निवेश पर उसके छूटे हुए लाभ, या बिना किसी उचित कारण के रोके गए धन के लिए क्षतिपूर्ति करता है।
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में ब्याज देने की वर्तमान प्रथा विसंगतियों से भरी हुई है, और एकरूपता की कमी के लिए इसकी आलोचना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में, ब्याज देने की विधि या दर पर कोई आम सहमति नहीं है।

---

[1] हाल्सबरी का ला आफ इंलैन्ड पैरा 106(चतुर्थ एडीसन, 1980)

4. एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, ब्याज पर पक्षों के बीच एक समझौते के अभाव में, दी गई ब्याज की दर मध्यस्थता की सीट के कानून द्वारा नियंत्रित की जाएगी।

प्रदत्त ब्याज की दर उस मुद्रा के अनुरूप होनी चाहिए जिसमें पंचाट दिया जाता है, और देश कालिक लागू कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए।

5. वर्तमान मामले में, भारत में अपना आसन रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार होनी चाहिए।

1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) जो ब्याज का प्रावधान करती है, सुलभ संदर्भ के लिए नीचे दी जाती हैः

"31. मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु -

(7).....

(क) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, जहां और जहां तक एक मध्यस्थता पंचाट धन के भुगतान के लिए है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण उस राशि, जिसके लिए पंचाट बनाया गया है, मे ब्याज को ऐसी दर पर शामिल कर सकता है, जो वह, धन के पूरे या किसी भी अंश पर, वाद हेतुक उत्पन्न होने की तिथि और पंचाट की तिथि के बीच की पूरी अवधि, या उसके किसी अंश के लिए, उचित समझे।

[(ख) एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि, जब तक कि पंचाट अन्यथा निर्देश नहीं देता है, पंचाट की तिथि को प्रचलित वर्तमान दर से दो प्रतिशत उच्चतर ब्याज दर पर, पंचाट की तिथि से भुगतान की तिथि तक देय होगा।

स्पष्टीकरण- "ब्याज की वर्तमान दर" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो ब्याज अधिनियम, 1978 (14 सन्1978) की धारा 2 के खंड (बी) के तहत उसे दिया गया है।]

(जोर दिया गया)

धारा 31 (7) दो भागों में हैः उप-धारा (ए) पूर्व-संदर्भ और वादकालीन अवधि के लिए ब्याज के दिये जाने से संबंधित है, जो पक्षों के बीच समझौते के अधीन है।यह धारा 31 (7) (ए) के शुरुआती शब्दों से स्पष्ट होगा-'जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो'। पक्षकारों के बीच किसी समझौता के अभाव मे, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को ब्याज प्रदान करने का विवेकाधिकार है; जैसा वो युक्तियुक्त समझता है। ब्याज दी गई राशि के पूरे या किसी अंश पर दिया जा सकता है।

धारा 31 (7) (बी) पंचाट के बाद की अवधि से संबंधित है यानी पंचाट की तारीख से लेकर वसूली की तारीख तक, और यह पक्ष की स्वायत्तता या पक्षों के बीच एक समझौते के अधीन नहीं है। यह उस तरीके से स्पष्ट होगा जिसमें धारा 31 (7) का खंड (बी) तैयार किया गया है। वाक्यांश "जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" इस प्रावधान से अनुपस्थित है। ब्याज की वैधानिक दर अधिनिर्णय की तारीख पर प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से 2 प्रतिशत अधिक है।

6. ब्याज देने के लिए मध्यस्थ के विवेक का युक्तियुक्त रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को ब्याज के लिए निर्णय देते समय कई कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे किः(i) मूल राशि के 'उपयोग की हानि'; (ii) उन राशियों के प्रकार जिन पर ब्याज लागू होना चाहिए; (iii) वह समयावधि जिस पर ब्याज दिया जाना चाहिए; (iv) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ब्याज दरें; (v) क्या ब्याज की सरल या चक्रवृद्धि दर लागू की जानी है; (vi) क्या दी गई ब्याज दर आर्थिक दृष्टिकोण से व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण है; (vii) मुद्रास्फीति की दरें, (viii) दी गई मूल राशियों व ब्याज के रूप में दी गई राशि की आनुपातिकता।

एक ओर, ब्याज की दर प्रतिपूरक होनी चाहिए क्योंकि यह पंचाट धारक को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का एक रूप है, जबकि दूसरी ओर यह दंडात्मक, अनुचित या सूदखोर प्रकृति का नहीं होना चाहिए।

न्यायालय एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी गई ब्याज दर को कम कर सकते हैं जहां ऐसी ब्याज दर प्रचलित आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है[2] या जहाँ यह न तो उचित पाया जाता है[3] और न ही न्याय के हितों को बढ़ावा देता है[4]।

7. सुनवाई के दौरान, लंदन इंटर बैंक आफर दर प्लस मार्जिन (1 से 3 प्रतिशत के बीच) के अनुसार ब्याज लागू करने का सुझाव दिया गया।

लंदन इंटर बैंक आफर दर एक औसत ब्याज दर है जिसकी गणना समय-समय पर लंदन के प्रमुख बैंकों द्वारा उनकी ब्याज दरों के रूप में दी गई जानकारी के आधार पर की जाती है। लंदन इंटर बैंक आफर दर व्यवस्था के तहत, बैंक वास्तविक ब्याज दर के बारे में विवरण देते हैं जो वे भुगतान कर रहे हैं, या अन्य बैंकों से उधार लेने पर भुगतान करने की आवश्यकता होगी। लंदन इंटर बैंक आफर दर 3 महीने की दर है जिसे अनुबंध के उल्लंघन (या अन्य दायित्व)[5] के कुछ मामलों में अपनाया गया है।

8. वर्तमान मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पंचाट में दोहरी ब्याज दर को अपनाया है। पंचाट द्वारा, पंचाट के बाद 120 दिनों के लिए 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है; यदि दी गई राशि का भुगतान 120 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो दी गई राशि पर ब्याज की दर 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी है।

दी गई ब्याज की दोहरी दर अनुचित प्रतीत होती है। 120 दिनों के बाद बहुत अधिक ब्याज दर का दिया जाना मनमाना है, क्योंकि पंचाट ऋणी, 1996 के अधिनियम[6] की धारा

---

[2] आई.ओ.सी. बनाम लायड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2007 - (4) अर्ब एल.आर. 84(दिल्ली) @ पेज 103

[3] (2009) 17 एस.सी.सी.296

[4] एफ.सी.आई. बनाम ए.एम. अहमद ए.आई.आर.2007 एस.सी.829

[5] जिसेल स्टीफंस- चू और जोशुआ केली, **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में ब्याज दिया जानाः** उद्देश्य के माध्यम से सामंजस्य हासिल करना, इंडियन जर्नल ऑफ आर्बिट्रेशन कानून, **खंड 7, अंक 1 (जुलाई 2018)**

[6] धारा 34(3)- अपास्त करने के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम् पंचाट प्राप्त किया था, या यदि अनुरोध धारा 33 के अधीन किया गया ह तो उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, तीन मास के अवसान के पश्चात् नही किया जाएगा : परन्तु यह कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन मास की अविध

34 (3) द्वारा प्रदान की गई अधिकतम 120 दिनों की अवधि के भीतर पंचाट को चुनौती देने का हकदार है। यदि पंचाट ऋणी को 120 दिनों के बाद उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, तो यह उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियां दायर करके पंचाट को चुनौती देने के उसके वैधानिक अधिकार को रोक देगा या गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।

9. आर्थिक दृष्टिकोण से, 120 दिनों के बाद 15 प्रतिशत की दर से उच्च ब्याज दर लागू करना अत्यधिक है और इसका प्रचलित समकालीन अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के साथ कोई संबंध नहीं है। पंचाट-ऋणी को, या तो उस अवधि के दौरान जब वह न्यायालय के समक्ष पंचाट को चुनौती देने के वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है या बाद में दंडात्मक ब्याज दर के अधीन नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 120 दिनों के बाद 15 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का कोई कारण नहीं बताया है।

10. याचिकाकर्ता ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में एक चार्ट प्रस्तुत किया जो दर्शाता है कि पंचाट का ब्याज घटक, प्रदान की गई राशि का लगभग 50 प्रतिशत है। 15 प्रतिशत ब्याज का दिया जाना अत्यधिक है और आनुपातिकता और तर्कसंगतता के सिद्धांत के विपरीत है।

11. यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि अनुबंध की शर्तों के खंड 35.2.3(उपरोक्त) के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को कोई परिणामी नुकसान देय नहीं होगा, क्योंकि आपूर्तिकर्ता को की गई लागत का 105% प्राप्त होगा।

दावेदार/प्रत्यर्थी को वास्तव में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ई. पी. सी. अनुबंधों के तहत की गई लागत का 105% प्रदान किया गया है।

के भीतर आवेदन करने से पयार्प्त कारण से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अविध मे आवेदन गर्हण कर सकेगा किन्तु इसके पश्चात् नही ।

दावे के यूरो घटक पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का दिया जाना अनुचित और अनधिकृत है। विदेशी मुद्रा में किए गए दावे पर इतनी अधिक ब्याज दर लगाने के परिणामस्वरूप दावेदार को अनुबंध में निर्धारित शर्तों के विपरीत मुआवजा दिया जाएगा।

12. पंचाट ने आई. एन. आर. और यूरो घटक दोनों पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की एक समान दर प्रदान की है। हालांकि, जब पार्टियां एक ही मुद्रा में काम नहीं करती हैं, तो भेदकारी ब्याज दरों के कारण होने वाली जटिलताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। मुद्रा के आधार पर ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह मुद्रा के साथ ब्याज दर के चयन का समन्वय करे। इसलिए आई. एन. आर. और यूरो के लिए एक समान ब्याज दर उचित नहीं होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आई. एन. आर. घटक पर 9 प्रतिशत ब्याज की दर अबाधित रहेगी। हालांकि, यूरो घटक के संबंध में, पंचाट ऋणी पंचाट की तारीख पर प्रचलित, लंदन इंटर बैंक आफर दर + 3 प्रतिशत अंकों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज को केवल अधोलिखित सीमा तक संशोधित किया गया हैः-

(i) पूरी दी गई राशि पर 120 दिनों के बाद दी गई 15 प्रतिशत की ब्याज दर को हटाया जाता है।

आई. एन. आर. घटक के लिए 9 प्रतिशत की दर पर ब्याज की एक समान दर वसूली की तारीख तक पूरी तरह से लागू होगी।

(ii) पंचाट के यूरो घटक पर देय ब्याज, पंचाट की तारीख से वसूलू की तारीख तक, को लंदन इंटर बैंक आफर दर + 3 प्रतिशत अंकों के अनुसार होगा।

अपील को तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

ओम प्रकाश